

अति तत्काल  
आर टी आई मामला

सं. 14036/387/2013-यू टी पी

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

\* \* \*

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली,  
दिनांक: 24/05/2013

सेवा में

श्री हरपाल सिंह राणा,  
ग्राम संसद, कादीपुर,  
दिल्ली-110036


विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आपका दिनांक 14.03.2013 का आवेदन।

महोदय,

मुझे सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आपका ऊपर उल्लिखित आर टी आई आवेदन (प्रधानमंत्री कार्यालय से अंतरित होकर इस अनुभाग में 14.5.2013 को प्राप्त) का उल्लेख करने का निदेश हुआ है।

2. इस संबंध में, आपके आर टी आई आवेदन के अनुलग्नकों से स्वतः स्पष्ट है कि 'अपेक्षित सूचना' आपके पास पहले से ही उपलब्ध है और इस बारे में और कोई सूचना नहीं है, अतः सूचना शून्य समझी जाए।
3. यह भी सूचित किया जाता है कि दिनांक 18.8.2004 तथा 16.4.2012 के पत्रों का हिन्दी अनुवाद इसलिए उपलब्ध नहीं कराया जा सका क्योंकि वे सूचना की प्रतिलिपियां थीं जिन्हें उपलब्ध रूप में ही दिया जा सकता था।
4. इस उत्तर के संबंध में गृह मंत्रालय में अपील प्राधिकारी का नाम एवं पदनाम श्री के.के. पाठक, संयुक्त सचिव (यू टी), गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली है।

भवदीया,



(एस. सुधा)

केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी एवं

अवर सचिव (डी पी-11)

दूरभाष : 23092856


28/4/13 with Encl

1572  
14/6

श्री मान

2012/13-2 May 13  
2012/13

जन सूचना अधिकारी  
उपधानमंत्री कार्यालय  
दिल्ली



विषय - सूचना अधिकार अधिनियम-2005 के तहत आवेदन

URGENT
RTI ACT
Sl. No. 9057
Date: 14/03/13
Last Date
For Disposal: 06/05/13

1. राजभाषा अधिनियम अनुसार जानकारी हिन्दी में दे।
2. जानकारी अधिक है तो सीडी में दे।
3. पत्र को स्थानांतरित करने वक्त वे जवाब देते वक्त भर इस आवेदन को यह दि-14/3/13 के 13/3/19 अवश्य लिए इस पर ध्यान अवश्य दे।
4. नियमों के अनुसार जो भी जानकारी देना सम्भव हो सके दे जाये या सम्बन्धित विभाग को आवेदन स्थानांतरित कर दिया जाए।
5. आवेदन को स्थानांतरित करते वक्त सूचना अवश्य दे। सूचना पत्र में प्रथम अपील अधिकारी का पता अवश्य बताए। जिससे सूचना न मिलने पर प्रथम अपील की जा सके।
6. पत्र संख्या-14011/39/2008-UTP व 14011/12/03-UTP से सम्बन्धित विषय तिथि पत्र अनुसार अलग-अलग शिर्षकित जानकारी दें।
7. पत्रों को हिन्दी में प्रतिलिपि दी जाए।
8. पत्रों को जारी करने का आधार क्या था बताए।
9. पत्रों को जारी करने का उद्देश्य क्या था बताए।
10. पत्रों में कहे गए विषयों को क्रियान्वित करने की जिम्मेदारी क्या-2 व फिर-2 अधिकारी विभाग को था बताए।
11. उपरोक्त विषय से सम्बन्धित कार्यवाही आरम्भ हो लेकर दस तक जितने भी पत्र, सरकुलर आदि जारी किए गए हैं, उन सभी को हिन्दी की प्रतिलिपि दें।
12. सिर्फ अंग्रेजी में जारी किए गए पत्र, सरकुलर का कारण बताए।
13. सम्बन्धित पत्र वेबसाइट पर ही तो उनका लिंक बताए।

MMA

हस्ताक्षर:   
हरपाल सिंह राणा  
श्रीमं संसद, कादीपुर, दिल्ली-36  
9654967600